

राजस्थान सरकार (596)
नगरीय विकास विभाग

च.को.सूच.

क्रमांक प.3(77)नविवि/3/2010पार्ट-IV

जयपुर, दिनांक :- 25 JUL 2011

आदेश

राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी, 2010 दिनांक 28.06.2010 को जारी की गई थी, जिसके बिन्दु संख्या 12(एफ) में निम्न प्रावधान है:-

"The provisions of the Rajasthan Imposition of Ceiling on Agricultural Holding Act, 1973 (Act No. 11 of 1973) shall not be applicable in case of the township scheme of any area."

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा 90(ए)(8) के द्वितीय परन्तुक में निम्न प्रावधान है :-

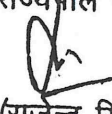
"No proceedings or orders under this sub-section shall be initiated or made in respect of lands for which proceedings under the provisions of the Urban Land (Ceiling and Regulation) Act, 1976 (Central Act No. 33 of 1976), the Rajasthan Imposition of Ceiling on Agricultural Holdings Act, 1973 (Act No. 11 of 1973) and the Rajasthan Land Reforms and Acquisition of Land Owners Estate Act, 1963 (Act No. 11 of 1964) are pending.

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर कृषि प्रयोजन के उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम-3(13) में निम्न प्रावधान है :-

"Land for which proceedings under the provisions of the Urban Land (Ceiling and Regulation) Act, 1976 (Central Act No. 33 of 1976), the Rajasthan Imposition of Ceiling on Agricultural Holdings Act, 1973 (Act. No. 11 of 1973), and the Rajasthan Land Reforms and Acquisition of Land Owners Estate Act, 1963 (Act. No. 11 of 1964) are pending."

उक्त अधिनियम एवं नियम के अनुसार राजस्थान Rajasthan Imposition of Ceiling on Agricultural Holdings Act, 1973 के अनुसार धारा 90-ए की कार्यवाही नहीं की जा सकती है। जबकि टाउनशिप पॉलिसी-2010 के अनुसार 90-ए की कार्यवाही की जा सकती है। इन दोनों में विरोधाभास होने के कारण राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी-2010 के बिन्दु संख्या 12(एफ) को एतद्वारा विलोपित किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(राजेंद्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास, आवासन मण्डल विभाग, जयपुर।
3. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. संभागीय आयुक्त (समस्त) राजस्थान।
5. जिला कलेक्टर (समस्त) राजस्थान।
6. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण/जोधपुर विकास प्राधिकरण/अजमेर विकास प्राधिकरण।
7. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
8. सचिव, नगर विकास न्यास (समस्त)।
9. संयुक्त शासन सचिव-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
10. वरिष्ठ नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग।
11. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को उक्त अधिसूचना विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
12. श्री आर.के.पारीक, विशेषाधिकारी/परामर्शी, नगरीय विकास विभाग, नगर नियोजन भवन जेडीए जयपुर के पास।
13. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग।
14. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को उक्त अधिसूचना की अतिरिक्त प्रति मय सॉफ्ट कॉपी के प्रेषित कर लेख है कि उक्त अधिसूचना का राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित कराकर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करे।
15. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, नगरीय विकास विभाग।
16. उप विधि परामर्शी, नगरीय विकास विभाग।
17. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव-प्रथम